भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1578

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

उग्रवादियों की तलाश

†1578 श्री जी. हरिः
श्री के.अशोक कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या भारतीय गुप्तचर एजेंसियों के रडार पर अनेक उग्रवादी हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारतीय गुप्तचर एजेंसियों ने इस संबंध में इन्टरपोल सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क साधा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): भारतीय आसूचना एजेंसियां देश के भीतर और बाहर आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती हैं।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो (एनसीबी) भारत को सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों से रेड नोटिस प्रकाशित करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त होते हैं। रेड नोटिस के आधार पर, इंटरपोल सदस्य राष्टों से सूचना प्राप्त की जाती है, जिसे समय-समय पर इसकी उपयोगिता निर्धारित करने के लिए संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है। आज की तारीख में, एनसीबी-भारत के अनुरोध के आधार पर प्रकाशित 670 रेड नोटिस प्रभावी हैं और इनमें से 153 रेड नोटिस आतंकवाद से संबंधित मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकाशित किए गए हैं।